न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **41/2012** (आवंटन निरस्ती)

1. पुनमचन्द पिता दौला मीणा, निवासी बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती भॅवरी देवी पत्नि पुनमचन्द जी पिता दौलाजी मीणा, निवासी बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. मृतक मंजी पिता दौला जी मीणा निवासी बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के बजायः—
   - 1/1 श्री फिरोज पिता स्वर्गीय श्री मंजी मीणा निवासी बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   - 1/2 श्री राजु पिता स्वर्गीय श्री मंजी मीणा निवासी बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राज्य जरिये उप जिला कलक्टर गिर्वा, जिला उदयपुर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवन्टन नियम 1970 बाबत आवंटन मौजा बारापाल की साबिक आराजी संख्या 4492 रकबा 5 बिघा दिनांक 23.01.1975 को किया गया आवंटन खारिज कराये जाने हेतु

उपस्थितिः—	1— श्री कन्हैयालाल चौरड़िया, अधिवक्ता प्रार्थीगण 2— श्री मनोज कुमार पॅवार, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः 20.11.17

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (भूमि आवंटन नियमन) के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता मृतक मंजी पिता दौला जी मीणा को दिनांक 23.01.1975 को साबिक आराजी संख्या 4492 रकबा 5 बिघा भूमि का आवंटन किया जाना अलोटमेंट की नकल लिये जाने पर ज्ञात हुआ हैं। जबकि उक्त भूमि को अलोट किये जाने के पूर्व किसी प्रकार की उद्घोषणा नहीं फरमायी गई और न मौके पर कोई कब्जा ही प्रदान

किया गया। अलोटमेन्ट फर्जी व गुप्त तरीके से किया गया। जबकि मौके पर हम प्रार्थीगण गरीब लोग हैं। इस भूमि पर लम्बे समय से परिवार सहित निवास करते हैं। मौके पर मकानात बने हुए हैं। प्रार्थीगण का इस भूमि पर बने मकानो का लाईट कनेक्शन भी सन् 1990 का बना हुआ हैं। इस पर ट्युबवेल भी लगा रखा हैं। यह भूमि प्रार्थीगणो की बाप दादाओ की भूमि हैं। जिसके विकास हेतु अपना सारा जीवन लगा दिया। विपक्षी संख्या 1 कुछ बदमाश तत्वो को अपने साथ लेकर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हुए तथा कुछ सरकार कर्मचारी उक्त भूमि हथियाने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त आवंटन का पता चला। वरना गुप्त रूप से सरकारी कर्मचारी उक्त भुमि हथियाने पर तुले हुए हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता के नाम पर किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली भी तलब की गई। विपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे हैं। अतः उनके विरूद्ध दिनांक 24.10.17 को एकतरफा कार्यवाही की गई। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री मंजी पिता दौला मीणा को दिनांक 23.01.75 को मौजा बारापाल की आराजी संख्या 4492 रकबा 5 बिघा का आवंटन गुप्त रूप से किया गया जिसका ज्ञान प्रार्थीगणो को कभी नहीं रहा। आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया। जबकि आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण उनके पुर्वाधिकारियो के समय से ही कब्जे काश्त हैं। आवंटन के पश्चात् या आवंटन के पहले कभी भी स्वर्गीय मंजी का कब्जा नहीं रहा। नाही उसके स्वर्गवास के बाद उसके विधिक वारीसानो का रहा हैं। मौके पर प्रार्थीगणो के मकान बने हुए हैं। जिसमें वह सपरिवार निवास करते हैं। अपने पशुधन हेतु बाड़े भी इसी भूमि पर बना रखे हैं। कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने

वाले सारे औजार भी इसी भूमि में रखे जाते हैं। काफी श्रम व लागत से भूमि को काबिल काश्त बनाया गया हैं। परन्तु विपक्षी संख्या 1 कुछ बदमाश तत्वो को अपने साथ मिलाकर इस भूमि को हड़पना चाह रहा हैं। जबकि यह भूमि बाप दादाओ के समय से ही प्रार्थीगणो के कब्जे में रही हैं। सरकारी कर्मचारी से मिलकर धोखा देकर फर्जी अलोटमेंट करवाकर अब आवंटन के आधार पर बेदखल करना चाह रहे हैं। अतः कृपया ऐसे अलोटमेंट को खारीज फरमाया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि आवंटन कमेटी द्वारा जो आवंटन किया गया है वह नियमो के परिपेक्ष्य में सही हैं। 40 वर्ष के पश्चात् आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य होने से खारीज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात न्यायालय का मत है कि मृतक मंजी पिता दौला मीणा को दिनांक 23.01.75 को साबिक आराजी संख्या 4492 रकबा 5 बिघा भूमि का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 23.01.75 को उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा आवंटन कमेटी की राय के आधार पर किया गया। विधिवत आवंटन के आधार पर ही मृतक मंजी पिता दौला मीणा के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि का अंकन हुआ हैं। आवंटन हुए करीब 40–41 वर्ष पुर्ण हो चुके हैं। इस दरमियान सेटलमेंट की कार्यवाही भी हुई। न्यायालय का मत है कि 40 वर्ष पश्चात् किसी आवंटन को निरस्त किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर